

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 10, सोमवार, शके 1947- सितम्बर 01, 2025 <i>Bhadra 10, Monday, Saka 1947- September 01, 2025</i>	

भाग-3(क)

**राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।**

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 01, 2025

संख्या एफ. 13(11)विशा/विस/2025 :-राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन)
विधेयक, 2025 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन जैसा कि दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को राजस्थान
विधान सभा में उपस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025
प्रवर समिति का गठन

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (97) | सभापति |
| 2. श्री फूल सिंह मीणा (98) | सदस्य |
| 3. श्री राधेश्याम बैरवा (131) | सदस्य |
| 4. श्री संदीप शर्मा (172) | सदस्य |
| 5. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (80) | सदस्य |
| 6. श्री कालीचरण सराफ (30) | सदस्य |
| 7. सुश्री नौक्षम (86) | सदस्य |
| 8. श्री राजेन्द्र गुर्जर (194) | सदस्य |
| 9. श्री बाबूसिंह राठौड़ (101) | सदस्य |
| 10. श्री राजेन्द्र पारीक (129) | सदस्य |
| 11. श्री श्रवण कुमार (167) | सदस्य |
| 12. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (62) | सदस्य |
| 13. श्री कान्ति प्रसाद (29) | सदस्य |
| 14. श्री अशोक कुमार कोठारी (17) | सदस्य |
| 15. श्री उमेश मीणा (23) | सदस्य |

सचिवालय:-

1. श्री भारत भूषण शर्मा	प्रमुख सचिव
2. श्री नन्द किशोर शर्मा	उप सचिव (विधान)
3. श्री छवि प्रकाश	सहायक सचिव
4. श्री रघुवीर भूषण दाधीच	अनुभाग अधिकारी

शासकीय प्रतिनिधि:-

1. श्री कुलदीप रांका	अति. मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
2. श्री बृजेन्द्र जैन	प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग
3. सुश्री मेघना जैन	विशिष्ट सचिव, विधि विभाग

मैं, सभापति, प्रवर समिति, जिसे राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर प्रवर समिति का यह प्रतिवेदन, उसके द्वारा यथासंशोधित विधेयक सहित प्रस्तुत करता हूँ :-

यह विधेयक राजस्थान विधान सभा में दिनांक 19 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक के प्रभारी मंत्री के प्रस्ताव पर यह विधेयक दिनांक 24 मार्च, 2025 को प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करने हेतु सदन द्वारा निर्दिष्ट किया गया था।

प्रवर समिति का गठन दिनांक 30 मई, 2025 को किया गया जिसमें सभापति सहित कुल 15 सदस्य शामिल किये गये। समिति द्वारा दिनांक 17 जून, 2025 की बैठक में विधेयक पर खण्डशः विचार-विमर्श प्रारम्भ किया गया। समिति की कुल 4 बैठकें हुई।

पिछले दो दशकों में, राजस्थान राज्य में कोचिंग सेंटरों का अनियंत्रित प्रसार देखा गया है। ये सेंटर, प्रति वर्ष लाखों छात्रों को नीट, आई.आई.टी., जेईई, आई.आई.एम. प्रवेश परीक्षा और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की गारंटी का वादा करके लुभाते हुए प्रायः व्यापक रूप से अनियमित वातावरण में संचालित होते हैं। इनमें से कई संस्थानों द्वारा किये गये मिथ्या दावों और अत्यधिक दबाव वाले वातावरण के परिणामतः जब परिणाम प्रत्याशाओं के अनुरूप नहीं होते, तो विद्यार्थियों में व्यापक निराशा और हताशा उत्पन्न होती है। दुखद रूप से, इससे प्रायः तनाव का स्तर बहुत बढ़ जाता है और कई मामलों में आत्महत्याएं भी।

इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, केन्द्र सरकार ने 16 जनवरी, 2024 को कोचिंग सेंटरों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन की रूपरेखा तैयार करते हुए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये। मार्गदर्शक सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए, राज्य सरकार प्रस्तावित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 के माध्यम से इन्हें औपचारिक रूप देना चाहती है। यह विधेयक कोचिंग संस्थानों के व्यावसायीकरण पर नियंत्रण करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक कदम है कि वे छात्रों के कल्याण और सफलता को प्राथमिकता देते हुए एक संरचना के भीतर क्रियाशील रहे।

प्रवर समिति ने अपनी बैठकों में गहन विचार-विमर्श एवं शिक्षण संस्थानों/कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर प्राप्त सुझावों को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय संशोधन प्रस्तावित

किये है। इसमें संलग्न संशोधन राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 में प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित है।

विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में समिति की निरुक्तियां उत्तरवर्ती कण्डिकाओं में दी गई है।

खण्ड 2

1. खण्ड 2 (घ) की चतुर्थ पंक्ति में विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ" प्रतिस्थापित की गई है।

खण्ड 19

2. खण्ड 19 (1) के बिन्दु संख्या (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "2,00,000/-" के स्थान पर अभिव्यक्ति "50,000/-" प्रतिस्थापित की गई है।
3. खण्ड 19 (1) के बिन्दु संख्या (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "5,00,000/-" के स्थान पर अभिव्यक्ति "2,00,000/-" प्रतिस्थापित की गई है।

जयपुर,

दिनांक:- 28 अगस्त, 2025

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा

सभापति

2025 का विधेयक सं.11

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025**[प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित]**

नोट:- प्रवर समिति द्वारा लोपित समस्त सामग्री वर्गाकार कोष्ठकों में दर्शायी गई है और अन्तःस्थापित नई सामग्री रेखांकित की गई है।

राज्य के कोचिंग सेंटरों को रजिस्टर, नियंत्रित, विनियमित करने और ऐसे सेंटरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम मानकों और अपेक्षाओं को अवधारित करने और विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखने तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैरियर मार्गदर्शन करने और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने, कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनमें तनाव कम करने के लिए समुचित अध्युपाय करने तथा विद्यार्थियों का समग्र विकास करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करने और विशिष्ट संस्थाओं आदि में प्रवेश दिलाने हेतु और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "विज्ञापन" से किसी सेवा या ब्रांड को प्रोन्नत करने या संभावित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें किसी विनिर्दिष्ट कार्य को करने के लिए मनाने हेतु डिजाइन किया गया कोई नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर, सूचना-पट्ट और पोस्टर आदि अभिप्रेत है और इसमें प्रिंट, डिजिटल, प्रसारण का कोई भी स्वरूप सम्मिलित है;
- (ख) "प्राधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "कोचिंग" से विद्यार्थियों को विद्या की किसी भी शाखा में प्रदान किया गया ट्यूशन, शिक्षण या मार्गदर्शन अभिप्रेत है, किंतु इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, नाट्यशाला और अन्य सृजनात्मक क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं हैं;
- (घ) "कोचिंग सेंटर" में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अध्ययन कार्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता के लिए

[पचास] एक सौ से अधिक विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए स्थापित, संचालित या प्रशासित कोई सेंटर सम्मिलित है;

- (ड) "जिला समिति" से इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (च) "फीस" से रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटर को, कोचिंग के लिए संदत्त धनराशि, अभिप्रेत है और इसमें प्रवेश फीस, अध्यापन फीस आदि सम्मिलित हैं;
- (छ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (ज) "छात्रावास" से किसी कोचिंग सेंटर या व्यक्ति या किसी सोसाइटी, न्यास, कम्पनी द्वारा दस या उससे अधिक विद्यार्थियों को संदाय के आधार पर उपलब्ध कराया गया कोई निवास स्थान अभिप्रेत है;
- (झ) "संस्था" से किसी बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या नियंत्रित या सहबद्ध विद्यालय या कोई अन्य शैक्षिक संस्था या राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यताप्राप्त, कोई सहबद्ध महाविद्यालय और सहयुक्त महाविद्यालय, कोई संघटक महाविद्यालय, कोई विश्वविद्यालय या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम के अधीन स्थापित शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है;
- (ञ) "अभिभावक" से किसी विद्यार्थी का जैविक पिता या माता अभिप्रेत है, और इसमें बिना जैविक संबंध वाला कोई व्यक्ति, जिसका विद्यार्थी के प्रति विधिक उत्तरदायित्व है, भी सम्मिलित है;
- (ट) "व्यक्ति" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें व्यक्तियों का समूह या कोई निगमित निकाय, या कोई न्यास, फर्म या सोसाइटी या कोई संस्था सम्मिलित है;
- (ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "स्वत्वधारी" से कोई व्यक्ति जो कोचिंग सेंटर का स्वामित्व रखता है, अभिप्रेत है;
- (ढ) "रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटर" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटर अभिप्रेत है;
- (ण) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (त) "विद्यार्थी" से कोचिंग सेंटर में नामांकित कोई विद्यार्थी अभिप्रेत है;
- (थ) "विद्यार्थी अभिभावक सोसाइटी" से अभिभावकों द्वारा गठित और राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है;
- (द) "ट्यूटर" से कोई व्यक्ति, जो किसी कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन या प्रशिक्षण देता है, अभिप्रेत है और इसमें विशेषज्ञीय ट्यूशन देने वाला ट्यूटर भी सम्मिलित है; और
- (ध) "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है, और इसमें कोई ऐसी संस्था सम्मिलित है, जिसे संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) के अधीन

इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

3. राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) प्राधिकरण की स्थापना और गठन.-

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना और गठन करेगी।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात:-

(i)	प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	-पदेन अध्यक्ष;
(ii)	प्रभारी सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो	- पदेन सदस्य;
(iii)	प्रभारी सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो	- पदेन सदस्य;
(iv)	प्रभारी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो	- पदेन सदस्य;
(v)	पुलिस महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती, जो पुलिस उप महानिरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो	- पदेन सदस्य;
(vi)	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा	- पदेन सदस्य;
(vii)	निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर	- पदेन सदस्य;
(viii)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राजकीय चिकित्सालय का कोई मनोचिकित्सक	- सदस्य;
(ix)	सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राजस्थान लेखा सेवा का कोई अधिकारी, जो लेखाधिकारी की रैंक से नीचे का न हो	-सदस्य;
(x)	प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा कोचिंग सेंटरों से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो प्रतिनिधि	-सदस्य;

(xi)	प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी अभिभावक सोसाइटी से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो प्रतिनिधि	-सदस्य; और
(xii)	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	-पदेन सदस्य-सचिव;

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “प्रभारी सचिव” से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सम्मिलित है, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो।

(3) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति को, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अर्जित, धारित और व्ययन करने की, और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(4) नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

(5) नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्यों के भत्ते ऐसे होंगे, जैसेकि विहित किये जायें।

(6) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर होगा।

4. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.- (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण को, निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-

(क) साक्षियों को समन और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) निरीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन जिला समिति के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील ग्रहण करेगा।

(3) प्राधिकरण उसमें वर्णित उपबंधों के अनुसार, ऐसी विशेषताओं के साथ, जैसी कि विहित की जायें, एक पोर्टल स्थापित और संधारित करेगा।

(4) प्राधिकरण कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों की शिकायतों पर ध्यान देने के प्रयोजनार्थ, ऐसे जिलों के लिए, जैसा कि विहित किया जाये, एक 24×7 कॉल सेन्टर स्थापित कर सकेगा।

(5) प्राधिकरण ऐसे समय और ऐसे स्थान पर, जैसाकि विहित किया जाये, उतनी बार जितनी आवश्यक हो, बैठक करेगा।

(6) प्राधिकरण, जिला समिति के कार्य संपादन को मानीटर करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला समितियों को आवश्यक निदेश देगा।

(7) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जिला समिति विहित समय-सीमा में शिकायतों को दूर करे।

(8) प्राधिकरण या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाये गये नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है, तो वह कोचिंग सेंटर के किसी भी परिसर का निरीक्षण कर सकता है और यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसा कोई उल्लंघन हो रहा है या हुआ है, ऐसे किसी अभिलेख, लेखाओं, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज की मांग कर सकता है और यदि प्राधिकरण का यह विचार है कि आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो प्राधिकरण मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला समिति को निर्दिष्ट कर सकता है।

(9) विद्यार्थियों के हितों, विद्यार्थियों के समग्र विकास, विद्यार्थियों के कैरियर मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य आदि के लिए अन्य कोई कृत्य।

5. जिला समिति.- (1) राज्य सरकार जिले में स्थित कोचिंग सेंटरों की उचित मानिट्रिंग के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला समिति का गठन करेगी।

(2) जिला समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क)	जिला मजिस्ट्रेट	-पदेन अध्यक्ष;
(ख)	पुलिस अधीक्षक	-पदेन सदस्य;
(ग)	संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय का आयुक्त/मुख्य कार्यपालक अधिकारी	-पदेन सदस्य;
(घ)	मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी	-पदेन सदस्य;
(ङ)	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	-पदेन सदस्य;
(च)	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राजकीय चिकित्सालय का कोई मनोचिकित्सक	-सदस्य;
(छ)	जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राजस्थान लेखा सेवा का कोई अधिकारी, जो लेखाधिकारी की रैंक से नीचे का न हो	-सदस्य;
(ज)	जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले कोचिंग सेंटरों के दो प्रतिनिधि	-सदस्य;

(झ)	जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विद्यार्थी अभिभावक सोसाइटी के दो प्रतिनिधि	-सदस्य;
(ञ)	अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला जिला मुख्यालय के किसी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य	-सदस्य; और
(ट)	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)	-सदस्य-सचिव।

(3) नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

6. जिला समिति की शक्तियां और कृत्य.- (1) जिला समिति को, इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-

- (क) साक्षियों को समन करना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना;
- (ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) किसी कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;
- (घ) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और
- (ङ) निरीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

(2) जिला समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:-

(क) राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) प्राधिकरण की नीतियों, सिफारिशों और निदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;

(ख) इस अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार कोचिंग सेंटरों को रजिस्टर करना, और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करना या नवीकरण से इन्कार करना;

(ग) समस्त कोचिंग सेंटरों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित करने के साथ-साथ विद्यार्थियों की प्रोन्नति और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि कोचिंग सेंटर एक बार में पूरी फीस प्रभारित नहीं करता है और अभिभावकों को पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर न्यूनतम चार बराबर किस्तों में फीस का भुगतान करने का विकल्प दिया जायेगा;

(ङ) विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए, जिला और खण्ड स्तर पर शिकायत समाधान प्रकोष्ठ का गठन करना, जैसाकि विहित किया जाये;

(च) कोचिंग सेंटरों द्वारा मिथ्या विज्ञापन, झूठे दावों, लाभप्रद प्रस्तावों आदि के अनाचार पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाना;

(छ) इस अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार विद्यार्थियों या अभिभावकों द्वारा की गयी शिकायतों के बारे में जांच करना;

(ज) कोचिंग सेंटर के किसी भी अभिलेख का स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत पर स्वयं के द्वारा या जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करना। कोचिंग सेंटर का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, ऐसे अभिलेखों को जो अपेक्षित हों, निरीक्षण के दौरान जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(झ) ऐसी दशा में जब किसी विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के लिए पूर्ण संदाय कर दिया है और विहित कालावधि के बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो शेष अवधि के लिए पूर्व में जमा करवायी गयी फीस में से शेष फीस आनुपातिक आधार पर, दस दिवसों के भीतर वापस करने के निदेश देना। यदि, विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के छात्रावास में रह रहा हो, तो जिला समिति छात्रावास फीस और भोजनालय फीस आदि लौटाने के निदेश दे सकेगी।

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि किसी सरकारी संस्थान में नियमित काडर सदस्य संख्या में सेवारत अध्यापकों को कोचिंग सेंटरों में अध्यापन में नहीं लगाया जाये;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि कोचिंग सेंटर का स्वामी या प्रभारी-व्यक्ति ऐसे अभिलेखों, रजिस्ट्रों या अन्य दस्तावेजों का संधारण करेगा, जैसाकि विहित किया जाये;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक कोचिंग सेंटर में शिकायत और सुझाव पेटिका स्थापित है और ऐसी पेटिकाओं में डाले गए सुझावों और शिकायतों को आवधिक रूप से संगृहीत करने की व्यवस्था करना;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि कोचिंग सेंटर उन विद्यार्थियों के लिए, जो अपनी संस्थाओं/विद्यालयों के समय के दौरान संस्थाओं/विद्यालयों में भी अध्ययन कर रहे हैं, कोचिंग कक्षाएं संचालित न करें, जिससे कि ऐसी संस्थाओं/विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति अप्रभावित रहे;

(ढ) यह सुनिश्चित करना कि कोचिंग सेंटर केन्द्रीय और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गयी विद्यालय मूल्यांकन समय-सारणी को ध्यान में रखेंगे और तदनुसार कोचिंग सेंटर के अध्ययन समय का समायोजन करेंगे;

(ण) कोचिंग सेंटरों से रजिस्ट्रीकरण फीस, शास्ति, किसी अन्य स्त्रोत आदि से कोचिंग सेंटरों के मद्दे प्राप्त रकम के लेखे संधारित करना और इस प्रयोजन के लिए, यह एक बैंक खाता खोलेगा और आय तथा व्यय का लेखा संधारित करेगा। इस खाते में के संव्यवहारों को प्रति वर्ष संपरीक्षित किया जायेगा, जैसाकि विहित किया जाये। इस प्रकार संपरीक्षित खाते का विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा;

(त) जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित ऐसे समय और स्थान पर जितनी बार आवश्यक हो बैठक करना किंतु जो प्रति दो मास में एक बार से कम नहीं हो;

(थ) यह सुनिश्चित करना कि रजिस्ट्रीकरण के रद्द होने की दशा में या कोचिंग सेंटर के स्वयं समापन होने की दशा में कोचिंग सेंटर द्वारा विद्यार्थियों को सम्पूर्ण फीस का प्रतिदाय किया जाये; और

(द) कोई अन्य कृत्य जो विहित किये जायें।

7. कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रीकरण.- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, कोई भी कोचिंग सेंटर वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किये बिना स्थापित या संचालित नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान कोचिंग सेंटर, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन, उस जिला समिति को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा कोचिंग सेंटर अवस्थित है, विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण फीस और ऐसे दस्तावेजों के साथ किया जायेगा, जैसाकि विहित किया जाये।

(4) किसी कोचिंग सेंटर की अनेक शाखाएं हों, तो ऐसी शाखाओं में से प्रत्येक को पृथक्-पृथक् कोचिंग सेंटर के रूप में माना जायेगा और प्रत्येक शाखा के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक पृथक् आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(5) जिला समिति जांच करने और उसका स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर जिला समिति, या तो विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगी या आवेदक को ऐसे रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करने से इन्कार करने के अपने आदेश के कारणों को अभिलिखित करते हुए संसूचित करेगी:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने वाला कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि तीन वर्ष होगी जब तक कि किसी कारण से उससे पहले रद्द न कर दिया जाये।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के अवसान की तारीख से दो माह पूर्व जिला समिति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए, ऐसे प्ररूप में नवीकरण फीस और दस्तावेजों सहित, जैसाकि विहित किया जाये, आवेदन करेगा।

(8) जिला समिति, विहित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और विहित फीस के संदाय पर, रजिस्ट्रीकरण कालावधि के अवसान से पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पर विनिश्चय करेगी और प्रमाणपत्र का नवीकरण करेगी या इन्कार होने पर रजिस्ट्रीकरण कालावधि के अवसान से पूर्व इन्कार के कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदक को संसूचित करेगी:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण से इन्कार करने वाला कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(9) जिला समिति न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ चेहराविहीन रीति से कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने के लिए वेब-पोर्टल/ऑनलाइन मैकेनिज्म सृजित करेगी।

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए निबंधन और शर्तें.- (1) कोई भी कोचिंग सेंटर-

(i) स्नातक से कम अर्हता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा;

- (ii) अभिभावकों/विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में उन्हें नामांकित करने के लिए रैंक या अच्छे अंकों का भ्रामक वचन या गारंटी नहीं देगा;
- (iii) रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा, यदि उसका क्षेत्रफल प्रति छात्र न्यूनतम एक वर्ग मीटर से कम है;
- (iv) किसी ऐसे ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेगा, जिसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो;
- (v) रजिस्ट्रीकृत नहीं होगा, जब तक कि उसके पास इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षा के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो।

(2) कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति या स्वत्वधारी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ उप-धारा (1) में उल्लिखित समस्त आज्ञापक निबंधन और शर्तों की पूर्ति के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) कोचिंग सेंटर की एक वेबसाइट होगी, जिसमें ट्यूटर्स की अर्हताओं, पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं (यदि कोई हों), और प्रभारित फीस, आसान निकास नीति, फीस प्रतिदाय नीति, कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल छात्रों की संख्या का प्रतिशत आदि का अपडेट किया हुआ ब्यौरा होगा।

(4) कोचिंग सेंटर स्थानीय अधिकारिता में लागू पृथक् रजिस्ट्रीकरण सहित विभिन्न विधियों, नियमों, विनियमों आदि का अनुपालन करेगा।

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज.- (1) कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ स्वत्वधारी द्वारा यह कथन करते हुए परिवचन संलग्न किया जायेगा कि-

- (क) वह केवल 'रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटर' शब्द का प्रयोग करेगा और किसी भी साइन बोर्ड या किसी प्रॉस्पेक्टस या पत्राचार या किसी भी प्रकृति के संचार या किसी भी स्थान पर 'मान्यताप्राप्त' या 'अनुमोदित' शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा;
 - (ख) उन विद्यार्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं, जो संस्थाओं में भी अध्ययनरत हैं, उनकी संस्था के समय के दौरान संचालित नहीं की जायेंगी;
 - (ग) ट्यूटर्स की अर्हताएं, कोचिंग कक्षा की समय सारणी, प्रभारित फीस के संबंध में, आवश्यक सूचना और कोचिंग कक्षा के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट, सामान्य जानकारी कोचिंग सेंटर की वेबसाइट, और उसके परिसर में प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी;
 - (घ) वह या कोचिंग सेंटर में किसी भी रीति से, नियोजित कोई भी ट्यूटर या व्यक्ति नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;
 - (ङ) वह कोचिंग कक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले विद्यार्थियों की विनिर्दिष्ट संख्या से संबंधित शर्त का पालन करेगा; और
 - (च) वह अन्य निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, जैसीकि विहित की जायें।
- (2) वह ऐसे अन्य दस्तावेज भी संलग्न करेगा, जैसाकि विहित किया जाये।

(3) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षित लेखाओं के विवरण की एक प्रति संलग्न की जायेगी।

10. अवसंरचना की अपेक्षाएं:- एक कोचिंग सेंटर को निम्नलिखित अवसंरचना संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी:-

(क) कोचिंग सेंटर की आधारिक संरचना के भीतर, कक्षा/बैच के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए न्यूनतम एक वर्ग मीटर क्षेत्र आबंटित किया जायेगा। नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त अवसंरचना होगी;

(ख) कोचिंग सेंटर भवन अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड और अन्य मानकों का अनुपालन करेगा और संबंधित स्थानीय निकाय से अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा;

(ग) विद्यार्थियों की सहायता के लिए, कोचिंग सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता/उपचार की सुविधा होगी। रेफरल सेवाओं जैसे अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं के लिए चिकित्सक, पुलिस हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के ब्यौरे, अग्निशमन सेवा हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन आदि की सूची सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी;

(घ) कोचिंग सेंटर भवन पूरी तरह से विद्युतीकृत और संवातित होगा;

(ङ) कोचिंग सेंटर के समस्त विद्यार्थियों और कर्मचारिवृंद के लिए सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध होगा;

(च) कोचिंग सेंटर में, जहां भी अपेक्षित हो, सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे और सुरक्षा को अच्छी तरह से बनाये रखा जायेगा;

(छ) विद्यार्थियों हेतु शिकायत दर्ज करने के लिए कोचिंग सेंटर में एक शिकायत पेटी या रजिस्टर रखा जायेगा। कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों के परिवादों/शिकायतों के निवारण के लिए समिति होगी; और

(ज) कोचिंग सेंटर भवन परिसर के भीतर पुरुषों और महिलाओं के लिए पृथक्-पृथक् शौचालयों के प्रबंध किये जायेंगे।

11. पाठ्यचर्या और कक्षाएं:- विद्यार्थियों के समग्र विकास प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए और कोचिंग के साथ, पाठ्यचर्या और कक्षाओं के संबंध में, विद्यार्थियों के मानसिक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने हेतु, कोचिंग सेंटर,-

- (i) प्रोस्पेक्टस में यथा उल्लिखित नियत समय में कक्षाएं पूरी करने का प्रयास करेंगे;
- (ii) उन विद्यार्थियों को, जिन्हें अपने शैक्षणिक कार्य में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, उपचारी या सहायता कक्षाएं प्रदान करेंगे;
- (iii) विद्यार्थियों को आराम करने और स्वस्थ होने का अवसर देने के लिए समय-सारणी की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार, उन पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालेंगे;
- (iv) विद्यार्थियों के साथ-साथ ट्यूटर्स के लिए भी साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करेंगे;
- (v) साप्ताहिक अवकाश के पश्चात् अगले दिन निर्धारण परीक्षण/परीक्षा संचालित नहीं करेंगे;
- (vi) छुट्टियों को ऐसी रीति से अनुकूलित करेंगे कि विद्यार्थी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्यौहारों के दौरान अपने परिवार से जुड़ने में समर्थ हो सकें;

- (vii) कोचिंग कक्षाएं इस प्रकार संचालित की जायेंगी कि यह किसी छात्र के लिए अत्यधिक न हो और यह एक दिन में पांच घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (viii) नियमित कक्षाएं संचालित करने के अतिरिक्त, नियमित अन्तरालों पर सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों को आयोजित करने का प्रयास करेंगे;
- (ix) विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल के विकास के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित करने का प्रयत्न करेंगे।

12. कोचिंग सेंटर के लिए आचार संहिता.- राज्य में रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटरों के लिए एक आचार संहिता होगी और प्रत्येक कोचिंग सेंटर को इस संहिता का पालन करना होगा। आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- (i) प्रत्येक कक्षा/बैच में नामांकित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रॉस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से परिभाषित और वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। किसी भी दशा में पाठ्यक्रम के चालू रहने के दौरान कक्षा/बैच में ऐसे नामांकन में वृद्धि नहीं की जायेगी;
- (ii) दाखिल विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में स्वस्थ शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात बनाये रखने और ट्यूटर्स तथा काउंसलरों के साथ संबंध बनाने के लिए अधिक अवसर सृजित करने की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी ट्यूटर से जुड़ने में सक्षम हों और विद्यार्थी की स्क्रीन/ब्लैकबोर्ड तक आसान पहुंच और दृश्यमानता हो;
- (iii) विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या में नामांकन से पहले परीक्षाओं की कठिनाई, पाठ्य विवरण, तैयारी की गहनता के स्तर और अपेक्षित प्रयासों के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराया जायेगा;
- (iv) विद्यार्थियों को शैक्षिक वातावरण, सांस्कृतिक जीवन, वास्तविकताओं तथा विद्यालय स्तर की परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बीच अंतर के बारे में जागरूक किया जायेगा;
- (v) अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के विकल्पों के अलावा विद्यार्थियों को अन्य कैरियर विकल्पों की जानकारी प्रदान की जाये, जिससे कि वे अपने भविष्य को लेकर तनावग्रस्त न हों और वैकल्पिक कैरियर विकल्प चुन सकें;
- (vi) अभिभावकों को उनके प्रतिपाल्य के लिए, किसी कोचिंग संस्था में उन्हें नामांकित करने से पूर्व अभिवृत्ति टेस्ट का एक विकल्प दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा उनके कैरियर चुनाव से संबंधित एक सुविज्ञ निर्णय को समर्थ बनाया जा सके;
- (vii) कोचिंग सेंटर को विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच यह जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं मानसिक दबाव का कारण बन सकती हैं;
- (viii) कोचिंग सेंटर अपने द्वारा संचालित निर्धारण परीक्षण के परिणाम को सार्वजनिक नहीं करेगा। निर्धारण परीक्षण को गोपनीय रखते हुए इसका उपयोग विद्यार्थियों के प्रदर्शन के नियमित विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए तथा जिस विद्यार्थी के शैक्षणिक प्रदर्शन का क्षय हो रहा है, उसे परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए; और
- (ix) विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर बैचों का पृथक्करण नहीं किया जायेगा।

13. फीस.- (1) विभिन्न पाठ्यक्रमों/पाठ्यचर्या के लिए प्रभारित ट्यूशन फीस उचित और युक्तियुक्त होगी तथा प्रभारित फीस की रसीदें उपलब्ध करायी जायेंगी।

(2) कोचिंग सेंटर को भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, उनकी पूरा होने की अवधि, कक्षाओं, व्याख्यानों, ट्यूटोरियल्स की संख्या, छात्रावास सुविधा, भोजनालय और प्रभारित की जा रही फीस, आसान निकास नीति, फीस प्रतिदाय आदि उल्लिखित करते हुए, एक प्रोस्पेक्टस जारी करना होगा। यह ब्यौरे परिसर में के प्रमुख और पहुंच वाले स्थान पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

(3) कोचिंग सेंटर द्वारा अपने नामांकित विद्यार्थियों को प्रोस्पेक्टस, नोट्स और अन्य सामग्री इसके लिए बिना किसी पृथक् फीस के उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) यदि विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का संदाय कर दिया है और विहित कालावधि के मध्य में ही पाठ्यक्रम छोड़ रहा है, तो विद्यार्थी को शेष कालावधि के लिए पूर्व में जमा की गयी फीस में से, दस दिवस के भीतर, आनुपातिक आधार पर वापस कर दी जायेगी। यदि विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के छात्रावास में रह रहा है, तो छात्रावास फीस और भोजनालय फीस आदि भी उसी रीति से वापस की जायेगी।

(5) जिस फीस के आधार पर किसी विशेष पाठ्यक्रम और अवधि के लिए नामांकन किया गया है, उसे किसी भी परिस्थिति में उस चालू पाठ्यक्रम के दौरान नहीं बढ़ाया जायेगा।

14. परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक सहायता.- (1) कोचिंग सेंटर को संकट और तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को लक्षित और निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक क्रियाविधि स्थापित करनी चाहिए।

(2) जिला समिति यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकेगी कि कोचिंग सेंटर द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाये और वह छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं के नामों तथा उनकी सेवाएं प्रदान करने के समय की जानकारी सभी छात्रों और अभिभावकों को प्रदान की जा सकती है।

(3) मानसिक तनाव और अवसाद को कम करने के लिए छात्रों को परामर्श देने और मनोचिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों को सम्मिलित किया जा सकता है।

(4) कैरियर परामर्शदाताओं को छात्रों की रुचि, योग्यता और क्षमता का निर्धारण करने के लिए शामिल किया जा सकता है, और तदनुसार छात्रों और उनके अभिभावकों को सर्वोत्तम कैरियर विकल्प चुनने के लिए यथार्थवादी अपेक्षाओं के साथ मार्गदर्शन और परामर्श दिया जा सकता है।

(5) कोचिंग सेंटर द्वारा अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और तनाव की रोकथाम पर नियमित कार्यशालाएं और जागरूकता सप्ताह आयोजित किये जा सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य, अच्छे पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के हानिकारक और नुकसानदायक प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सेंटर द्वारा अभिभावकों के लिए आयोजित संवाद सत्र में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, लचीलेपन और स्वयं की देखभाल के लिए जिम्मेदार होने के संदर्भ में सकारात्मक परवरिश पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

(6) छात्रों को उनके सुधार के क्षेत्रों के बारे में प्रभावी और संवेदनशील तरीके से जानकारी देने के लिए ट्यूटर्स को मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(7) परामर्श के भाग के रूप में कोचिंग सेंटर को चर्चाओं, प्रतियोगिताओं और परियोजनाओं में साथियों में समूह सम्पर्क तथा समूह-आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास, आयोजित करने चाहिए।

(8) विद्यार्थी की शंकाओं का समाधान उन ट्यूटर्स द्वारा किया जायेगा, जिन्होंने कक्षा में पढ़ाया हो, जिससे विद्यार्थी संतुष्ट महसूस करें।

15. अभिलेख रखना.- कोचिंग सेंटर ऐसे अभिलेख, लेखे, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज रखेगा, जैसाकि विहित किया जाये।

16. कोचिंग सेंटर के स्थानांतरण पर निर्बंधन.- कोचिंग सेंटर केवल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में इंगित स्थान पर ही कोचिंग संचालित करेगा और जिला समिति के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना इसे अपने रजिस्ट्रीकृत पते के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।

17. कोचिंग सेंटर के क्रियाकलापों को मानीटर करना.- जिला समिति या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी कोचिंग सेंटर को निरंतर मानीटर करेगा और कोचिंग सेंटर से रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षित अर्हता की पूर्ति तथा कोचिंग सेंटर की संतोषप्रद गतिविधियों के संबंध में जांच करेगा।

18. परिवाद.- कोचिंग सेंटर के विरुद्ध कोचिंग सेंटर के छात्र, अभिभावक या ट्यूटर/कर्मचारी द्वारा जिला समिति के समक्ष परिवाद दर्ज कराया जा सकता है। परिवाद प्राप्त होने पर या प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त होने पर, जिला समिति या तो स्वयं या जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अपने किसी सदस्य के माध्यम से मामले की जांच करेगी, जांच के पश्चात् जिला समिति परिवाद प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर समुचित आदेश पारित कर सकेगी:

परन्तु धारा 19 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई भी आदेश कोचिंग सेंटर को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

19. शास्तियां.- (1) रजिस्ट्रीकरण के किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों या सामान्य शर्तों के अतिक्रमण की दशा में, कोचिंग सेंटर निम्नानुसार शास्तियों के लिए दायी होगा:-

(i) प्रथम अतिक्रमण के लिए [2,00,000/-] 50,000/- रुपये; या

(ii) द्वितीय अतिक्रमण के लिए [5,00,000/-] 2,00,000/- रुपये; या

(iii) पश्चात्तर्वी अतिक्रमण के लिए रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।

(2) यदि कोचिंग सेंटर शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो यह रकम कोचिंग सेंटर के स्वत्वधारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

20. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.- कोचिंग सेंटर को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, सुसंगत विधि के अतिक्रमण के लिए की जाने वाली किसी भी अन्य दाण्डिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा, यदि संबंधित जिला समिति का यह समाधान हो जाता

है कि कोचिंग सेंटर ने अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया है या उन निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया है जिनके अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया था:

परन्तु, जिला समिति द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

21. अपील.- (1) जिला समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, प्राधिकरण को, यथाविहित रीति से अपील कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण उक्त तीस दिवस की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) प्राधिकरण, अपील फाइल होने के तीस दिवस के भीतर-भीतर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा करेगा।

22. कोचिंग सेंटर से संबंधित भ्रामक विज्ञापन का प्रतिषेध.- कोई कोचिंग सेंटर, उससे संबंधित किसी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवायेगा या उसके प्रकाशन में भाग नहीं लेगा।

23. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होना.- इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

24. अधिकारिता का वर्जन.- किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसके लिए राज्य सरकार या कोई व्यक्ति या प्राधिकरण इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा सशक्त किया गया है।

25. निदेश देने की शक्ति.- राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण को लिखित रूप में ऐसे सामान्य या विशिष्ट निदेश दे सकेगी, जो आवश्यक हों।

26. मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति.- राज्य सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी।

27. सद्भावपूर्वक किये गये कृत्य के लिए संरक्षण.- प्राधिकरण और जिला समिति, या अध्यक्ष या किसी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम, या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

28. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है

या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

29. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कोई भी ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी।

राजस्थान विधान सभा

राज्य के कोचिंग सेंटरों को रजिस्टर, नियंत्रित, विनियमित करने और ऐसे सेंटरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम मानकों और अपेक्षाओं को अवधारित करने और विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखने तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैरियर मार्गदर्शन करने और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने, कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनमें तनाव कम करने के लिए समुचित अध्युपाय करने तथा विद्यार्थियों का समग्र विकास करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करने और विशिष्ट संस्थाओं आदि में प्रवेश दिलाने हेतु और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

(जैसाकि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No.11 of 2025

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN COACHING CENTRES (CONTROL AND REGULATION) BILL, 2025

(As amended by the select committee)

Note:- All matters omitted by the select committee have been in square brackets and newly matters inserted have been underlined.

A

Bill

to make provisions for coaching centres of the State to register, control, regulate and determine minimum standards and requirements for registration of such centres, to take care of interests of students and provide them career guidance and psychological counselling for mental well-being, to take appropriate measures to provide security and reduce stress among students enrolled in the coaching centres, and to provide better academic support and holistic development of students in preparation of different competitive examinations and admission into specialized institutions etc. and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Coaching Centres (Control and Regulation) Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “advertisement” means and includes any notice, circular, label, wrapper, billboard and poster etc. in any form including print, digital, broadcast, designed to promote service or brand to attract attention of potential customers, and to persuade them to take a specific action;

(b) “Authority” means Rajasthan Coaching Centres (Control and Regulation) Authority to be notified by the Government under section 3 of this Act;

(c) “coaching” means tuition, instructions or guidance in any branch of learning imparted to students but does not include counselling, sports, dance, theatre and other creative activities;

(d) “coaching centre” includes a centre, established, run, or administered by any person to provide coaching for more than [50] 100 students in any study programme or competitive examinations or academic support to students studying in any institution;

(e) “District Committee” means committee constituted under section 5 of this Act;

(f) “fees” means the sum of money paid for coaching to the registered coaching centre and includes admission fees, teaching fee etc.;

(g) “Government” means Government of Rajasthan;

(h) “Hostel” means a residential accommodation provided by a coaching centre or person or a society, trust, company to ten or more students on payment basis;

(i) “institution” means school or any other educational institution recognized or controlled by, or affiliated to a Board, or controlled or recognized by State/Central Government, an affiliated college, and associated college, a constituted college, a university or educational institution established under the Act of Central Government or State Government;

(j) “parent” means biological father or mother of a student and includes a person who has legal responsibility for a student, regardless of biological connection;

(k) “person” means an individual and includes a group of persons or a body corporate, or a trust, firm or society or an institution;

(l) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(m) “proprietor” means a person who owns a coaching centre;

(n) “registered coaching centre” means the coaching centre registered under this Act;

(o) “rules” means rules made under this Act;

(p) “student” means a student enrolled in coaching centre;

(q) “student’s parent society” means a society formed by parent and registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958);

(r) “tutor” means a person who guides or trains students in any coaching centre and includes tutor giving specialized tuitions; and

(s) “University” means a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and includes any such institution as may, in consultation with the University concerned, be recognized by the University Grants Commission in accordance with the regulations made in this behalf under University Grants Commission Act, 1956 (Central Act No. 3 of 1956).

3. Establishment and constitution of the Rajasthan Coaching Centres (Control and Regulation) Authority.- (1) After the commencement of this Act, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish and constitute for the purpose of this Act, an Authority, to be called the Rajasthan Coaching Centres (Control and Regulation) Authority.

(2) The Authority shall consist of the following, namely:-

- | | | | |
|--------|---|---|-------------------------------------|
| (i) | Secretary in-charge, Department of Higher Education | - | <i>Ex-officio</i> Chairman; |
| (ii) | Secretary in-charge, Department of School Education or his nominee not below the rank of Joint Secretary | - | <i>Ex-officio</i> Member; |
| (iii) | Secretary in-charge, Department of Technical Education or his nominee not below the rank of Joint Secretary | - | <i>Ex-officio</i> Member; |
| (iv) | Secretary in-charge, Department of Medical Education or his nominee not below the rank of Joint Secretary | - | <i>Ex-officio</i> Member; |
| (v) | Director General of Police or his nominee not below the rank of Deputy Inspector General of Police | - | <i>Ex-officio</i> Member; |
| (vi) | Commissioner, College Education | - | <i>Ex-officio</i> Member; |
| (vii) | Director, Local Bodies, Jaipur | - | <i>Ex-officio</i> Member; |
| (viii) | a Psychiatrist from Government Hospital to be nominated by the Principal Secretary, Medical and Health Department | - | Member; |
| (ix) | an officer of Rajasthan Accounts Service, not below the rank of Accounts Officer nominated by the Secretary, Finance Department | - | Member; |
| (x) | two representatives from coaching centres nominated by the Chairman of Authority | - | Members; |
| (xi) | two representatives from student's parent society nominated by the Chairman of Authority | - | Members; and |
| (xii) | Joint Secretary, Department of Higher Education | - | <i>Ex-officio</i> Member-Secretary. |

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression “Secretary in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(3) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and may, by the said name, sue or be sued.

(4) The term of nominated non-government members shall be one year.

(5) The allowances of nominated non-government members shall be such as may be prescribed.

(6) The headquarters of the Authority shall be at Jaipur.

4. Powers and functions of the Authority.- (1) The Authority shall, for the purpose of discharging its functions under this Act, have the same powers of a civil court as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) while performing functions under the Act, in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;
- (b) requiring the discovery and production of any documents;
- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
- (d) receiving evidence on affidavits; and
- (e) issuing commissions for inspection.

(2) The Authority shall entertain the appeal preferred under section 21 of this Act against the order of the District Committee.

(3) The Authority shall establish and maintain a portal with features as may be prescribed, in accordance with the provisions set forth therein.

(4) The Authority may establish a 24x7 call centre for such districts as may be prescribed for the purpose of addressing grievances of students enrolled in coaching centres.

(5) The Authority shall meet as often as may be necessary at such time and such place as may be prescribed.

(6) The Authority shall monitor performance of District Committee and give directions to the district authorities, as are necessary for ensuring compliance of provisions of this Act and rules and orders made thereunder.

(7) The Authority shall ensure that District Committee redresses grievances in a prescribed time limit.

(8) The Authority or any officer authorized by general or special order in this behalf by the Chairman, if he has reason to believe that, there is or has been any contravention of provisions of this Act or the rules made thereunder, may inspect any premises of coaching centre and ask for any such records, accounts, register or other documents for the purpose of ascertaining whether there is or has been any such contravention and if the Authority is of the view that further action is required the Authority may refer the matter to District Committee for necessary action.

(9) Any other function for interest of students, holistic development of students, career guidance, psychological counselling and mental wellbeing etc. of students.

5. District Committee.- (1) The State Government shall constitute a District Committee in each district for proper monitoring of the coaching centres situated in the district.

(2) The District Committee shall consist of the following members, namely:-

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| (a) District Magistrate | - | <i>Ex-officio</i>
Chairman; |
| (b) Superintendent of Police | - | <i>Ex-officio</i>
Member; |
| (c) Commissioner /Chief Executive Officer of
concerned Urban Local Body | - | <i>Ex-officio</i>
Member; |
| (d) Chief Medical and Health Officer | - | <i>Ex-officio</i>
Member; |
| (e) District Education Officer (Secondary) | - | <i>Ex-officio</i>
Member; |
| (f) a psychiatrist from Government Hospital to
be nominated by the District CMHO | - | Member; |
| (g) an officer of the Rajasthan Accounts Service,
not below the rank of Accounts Officer
nominated by the Chairman of District
Committee | - | Member; |
| (h) two representatives of coaching centres | - | Members; |

- nominated by the Chairman of District Committee
- (i) two representatives from student's parent society nominated by the Chairman of District Committee - Members;
- (j) Principal of any Government Post Graduate College at district headquarter nominated by Chairman - Member; and
- (k) Additional District Magistrate (Administration) - Member-Secretary.

(3) The term of nominated non-government members shall be one year.

6. Powers and functions of the District Committee.- (1) The District Committee shall, for the purpose of enquiry under this Act, have the same powers of a civil court as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) while performing functions under the Act, in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;
- (b) requiring the discovery and production of any documents;
- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
- (d) receiving evidence on affidavits; and
- (e) issuing commissions for inspection.

(2) The District Committee shall carry out the following functions:-

(a) to ensure implementation of the policies, recommendations, and directions of the Rajasthan Coaching Centres (Control and Regulation) Authority;

(b) to register the coaching centre, and to renew the registration certificate or refuse the renewal, as per provision of section 7 of this Act;

(c) to take all such steps as necessary for ensuring the promotion and protection of students along with ensuring imparting of quality education in all coaching centres;

(d) to ensure that the coaching centre does not charge total fee in one time and option shall be given to the parents to pay the fee in minimum four equal instalments within the duration of the course;

(e) to constitute Grievance Redressal Cell at the district and block level for prompt and effective resolution of the grievances of students and their parents as may be prescribed;

(f) to take steps to rein in the malpractices of bogus advertisement, false claims, lucrative offers etc. by coaching centres;

(g) to enquire about the complaints made by the students or parents as per the provisions of section 18 of this Act;

(h) to inspect *suo moto* or upon any complaint, any records of a coaching centre by itself or any person or persons authorised by the Chairman of District Committee. The owner or person-in-charge of the coaching centre shall produce before the District Committee such records as may be required during the inspection;

(i) to give directions for refund of remaining fee in case a student has paid for the course in full and is leaving the course in the middle of the prescribed period out of the fees deposited earlier for the remaining period, on pro-rata basis within ten days. District Committee may direct to refund the hostel fees and mess fee etc. if the student is staying in the hostel of the coaching centre;

(j) to ensure that teachers serving in regular cadre strength in any government institute do not engage in teaching in coaching centres;

(k) to ensure that the owner or person-in-charge of a coaching centre shall maintain such records, registers or other documents, as may be prescribed;

(l) to ensure that complaint and suggestion box is installed in each coaching centre and shall arrange to collect periodically the complaints and suggestions posted in such boxes;

(m) to ensure that coaching centres do not conduct coaching classes for those students who are also studying in institutions/schools during their institutions/schools' hours, so that their regular attendance in such institutions/schools remains unaffected;

(n) to ensure that coaching centre shall keep in view the schedule of School Assessment as set out by the Central and State Education Boards and accordingly adjust the study hours of the coaching centre;

(o) to maintain accounts of the amount received on account of the coaching centres from the registration fee, penalty, any other source etc. and for this purpose it shall open a bank account and shall maintain the account of income and expenditure. The transactions in this account shall have to be audited every year as may be prescribed. The statement of account so audited shall be submitted to the Authority at the end of each financial year;

(p) to meet as often as may be necessary at such time and place as may be decided by the Chairman of the District Committee but not less than once in every two months;

(q) to ensure refund of entire fee to the student by the coaching centre in case of cancellation of registration, or self-closure of coaching centre; and

(r) any other functions as may be prescribed.

7. Registration of the Coaching Centre.- (1) After the commencement of this Act, no coaching centre shall be established or run without obtaining valid registration certificate.

(2) Coaching centre existing on the date of commencement of this Act, shall apply for registration within a period of three months from the date of commencement of this Act.

(3) Application for the registration of coaching centre shall be made to the District Committee, within whose local jurisdiction such coaching centre is situated, in the prescribed form along with registration fee and such documents as may be prescribed.

(4) In case of coaching centre having multiple branches, each of such branches shall be treated as separate coaching centre and it shall be necessary to submit a separate application for registration of each branch.

(5) The District Committee after holding an enquiry and after satisfying itself that the applicant has complied with all requirements of this Act and rules made thereunder, the District Committee shall within 3 months from the date of receipt of the application for registration of coaching centre, either grant the registration certificate in the prescribed form, or shall communicate to the applicant his order of refusal to grant such registration after recording reasons in writing:

Provided that no order refusing the registration shall be passed except after giving to the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(6) The period of validity of the registration certificate shall be three years unless cancelled earlier for any reason.

(7) Every registered coaching centre shall apply for renewal of registration certificate to the District Committee two months prior to the date of expiry of such registration, in such form, with a renewal fee and documents as may be prescribed.

(8) The District Committee may, on receipt of an application for renewal of registration certificate in the prescribed form and on payment of the prescribed fees, shall decide on the application for renewal of registration certificate before the expiry of the registration period and may renew the certificate or may communicate the refusal thereof to

the applicant before the expiry of the registration period, after recording the reasons for such refusal in writing:

Provided that no order refusing renewal of the registration shall be passed except after giving the person concerned a reasonable opportunity of hearing.

(9) The District Committee shall create a web-portal/online mechanism to facilitate the registration of coaching centre in faceless manner with minimum human interface.

8. Terms and conditions for registration.- (1) No coaching centre shall-

- (i) engage tutors having qualification less than graduation;
- (ii) make misleading promises or guarantee of rank or good marks to parents/students for enrolling them in the coaching centre;
- (iii) be registered, if it has less than a minimum one square meter area per student;
- (iv) hire the services of any tutor or person who has been convicted for any offence involving moral turpitude;
- (v) be registered unless it has counselling system as per the requirement of this Act or rules made thereunder.

(2) The person or proprietor operating coaching centre shall submit an affidavit regarding fulfilment of all mandatory terms and conditions as mentioned in sub-section (1) along with application for registration.

(3) Coaching centre shall have a website with updated details of the qualifications of tutors, courses/curriculum, duration of completion, hostel facilities (if any), and the fees being charged, easy exit policy, fee refund policy, number of students undertaken coaching from the centre and percentage of number of students finally succeeded in getting admission in higher education institutions etc..

(4) Coaching centre shall adhere to the various laws, rules, regulations etc. including separate registration as applicable in the local jurisdiction.

9. Documents to be accompanied with the application for registration.- (1) Every application for registration of a coaching centre shall be accompanied by an undertaking by the proprietor stating that-

- (a) he shall use only the word 'registered coaching centre' and shall not use the words 'recognized' or 'approved' on any sign board or any prospectus or correspondence or communication of whatever nature or at any place;
- (b) coaching classes for those students who are also studying in institutions, shall not be conducted during their institution's hours;
- (c) the necessary information regarding the qualifications of the tutors, time table of the coaching class, the fee charged and general information, as specified, regarding the coaching class shall be displayed on the website and notice board at prominent place in the premises of the coaching centre;
- (d) he or any tutor or person employed, in any manner in the coaching centre has not been convicted for any offence involving moral turpitude;
- (e) he shall abide by the condition regarding the specified number of students to be admitted in the coaching class; and
- (f) he shall abide by the other terms and conditions as may be prescribed.

(2) He shall also attach such other documents as may be prescribed.

(3) The application for renewal of the registration shall be accompanied by a copy of the statement of accounts audited by Chartered Accountant.

10. Infrastructure requirements.- A coaching centre shall fulfill the following infrastructure related requirement:-

(a) within the basic structure of the coaching centre, a minimum one square meter area may be allocated for each student during a class/batch. There shall be sufficient infrastructure in proportion to the number of students enrolled;

(b) the coaching centre building shall adhere to fire safety codes, building safety codes and other standards and shall obtain a Fire and Building Safety Certificate from the local body concerned;

(c) for the assistance of the students, coaching centre shall have first aid kit and medical assistance/treatment facility. List of referral services like hospitals, doctors for emergency services, police helpline, child helpline 1098 details, fire service helpline, women helpline etc. shall be displayed at conspicuous place;

(d) the coaching centre building shall be fully electrified, well-ventilated;

(e) safe and potable drinking water shall be available for all students and staffs of the coaching centre;

(f) the coaching centre may be suitably fitted with CCTV cameras wherever required and security shall be well maintained;

(g) a complaint box or register may be placed at the coaching centre for the students to raise a complaint. Coaching centre shall have committee for redressal of complaints/grievances of students; and

(h) provision of separate toilets for males and females shall be made within the coaching centre building premises.

11. Curriculum and classes.- For the purpose of achieving holistic development of students and to provide psychological counselling for mental well-being of the students, in respect of curriculum and classes, along with coaching, coaching centres shall,-

- (i) make efforts to complete the classes in the stipulated time as mentioned in the prospectus;
- (ii) provide remedial or support classes to student who require additional support in their academics;
- (iii) chalk out time-table to allow the students to relax and recuperate and thus, not build additional pressure on them;
- (iv) ensure weekly off for students as well as tutors;
- (v) not conduct assessment-test/exam on the day after weekly off;
- (vi) customize leave in such a manner that the students are able to connect with their family during the important and popular festivals;
- (vii) conduct coaching classes in a way that it is not excessive for a student and it should not be more than 5 hours in a day;
- (viii) endeavour to organize co-curricular activities at regular intervals in addition to conducting regular classes; and
- (ix) make efforts to organize counselling sessions for the development of students' mental health and life skills.

12. Code of conduct for the coaching centre.- There shall be a code of conduct for coaching centres registered in the State and every coaching centre must adhere to the code. The salient features of the code of conduct are as follows:-

- (i) the number of students to be enrolled in each class/ batch may be clearly defined in the prospectus and published on website. In no case such enrolment shall be increased in class/batch during the ongoing course;
- (ii) the number of students admitted may be in line with the requirements of maintaining a healthy teacher-student ratio in each class and for creating more opportunities for building relationship with tutors and counsellors. It should be

- ensured that students are able to connect with the tutor and the student has easy access and visibility to the screen/blackboards;
- (iii) the students shall be well apprised about the difficulty of exams, syllabus, level of intensity of preparation and efforts required before enrolling into the curriculum;
 - (iv) the students shall be made aware about the educational environment, cultural living, realities, and difference between preparation of school level examinations and competitive examination;
 - (v) apart from options for admission in engineering and medical institutes, information about other career options may be provided to the students, so that they do not get stressed about their future and can choose an alternative career option;
 - (vi) parents may be given an option of aptitude test for their ward prior to enrolling them in a coaching institution, thereby enabling an informed decision regarding their career selection;
 - (vii) coaching centre should create awareness among students and parents that excessive ambitions may cause mental pressure;
 - (viii) coaching centre shall not make public the result of assessment test conducted by it. Keeping the assessment test confidential, it should be used for regular analysis of performance of students and the student whose education performance is deteriorating, should be provided counselling; and
 - (ix) There shall be no segregation of batches based on the performance of students.

13. Fees.- (1) The tuition fees for different courses/curriculum being charged shall be fair and reasonable and receipts for the fee charged must be made available.

(2) The coaching centre must issue a prospectus mentioning the different courses/curriculum, their duration of completion, number of classes, lectures, tutorials, hostel facility, mess and the fees being charged, easy exit policy, fee refund etc. These details shall also be displayed at prominent and accessible place in the premises.

(3) The prospectus, notes and other material shall be supplied by the coaching centre to their enrolled students without any separate fees thereof.

(4) If the student has paid for the course in full and is leaving the course in the middle of the prescribed period, student shall be refunded from out of the fees deposited earlier for the remaining period, on pro-rata basis within ten days. If the student is staying in the hostel of the coaching centre, then the hostel fees and mess fee etc. shall also be refunded in the same manner.

(5) Under no circumstances, the fee on the basis of which enrolment has been made for a particular course and duration shall be increased during the ongoing course.

14. Counsellors and psychologists support.- (1) Coaching centre should establish the mechanism for immediate intervention to provide targeted and sustained assistance to students in distress and stressful situation.

(2) The District Committee may take steps to ensure that a counselling system be developed by the coaching centre and is easily available for the students and parents. Information about the names of psychologists, counsellors, and the time they render services may be provided to all students and parents.

(3) Counsellors and experienced psychologists may be involved to counsel and provide psychotherapeutic service to students for reducing of mental stress and depression.

(4) Career counsellors may be on boarded to assess the student's interest, aptitude and capability, and accordingly guide and counsel the students and their parents with realistic expectations to choose the best career option.

(5) Regular workshops and awareness weeks may be arranged for parents, students and teachers on mental health and prevention of stress by the coaching centre. It should also focus on basic training in health, good nutrition, personal and public hygiene, disaster response and first-aid as well as scientific explanations of the detrimental and damaging effects of alcohol, tobacco, and other drugs. The matter of positive parenting should also be stressed upon in the interaction session organized for parents by the centre in the context of students' mental health, resilience and responsible self-care.

(6) Tutors may undergo training in mental health issues to convey information effectively and sensitively to students about their areas of improvement.

(7) As part of counselling the coaching centre should organize peer group interaction and group-based curricular exercises in discussions, competitions and projects.

(8) The doubts of student shall be resolved by those tutors who have taught in the class so that student feels satisfied.

15. Maintenance of records.- The coaching centre should maintain such records, accounts, registers, or other documents, as may be prescribed.

16. Restriction on shifting of coaching centre.- Coaching centre shall conduct coaching only at the place indicated in the registration certificate and shall not be shifted to any place other than its registered address, without the prior written approval of the District Committee.

17. Monitoring of activities of the coaching centre.- The District Committee, or any other officer authorized by the Authority shall conduct continuous monitoring of the activities of the coaching centre and enquire any coaching centre regarding the fulfilment of required eligibility of registration and satisfactory activities of the coaching centre.

18. Complaints.- A complaint may be filed before the District Committee against the coaching centre by the student, parent or tutor/employee of the coaching centre. On receipt of complaint or on receipt of reference from the Authority, the District Committee may either itself or through any of its members authorized for the said purpose by the Chairman of District Committee, shall enquire into the matter, after enquiry the District Committee may pass appropriate order within thirty days from the date of receipt of complaint:

Provided that no order imposing penalty under section 19 shall be passed without providing opportunity of hearing to the coaching centre.

19. Penalties.- (1) In case of violation of any of the terms and conditions of registration or general conditions, the coaching centre shall be liable for penalties as follows:-

- (i) rupees [2,00,000/-] 50,000/- for first violation; or
- (ii) rupees [5,00,000/-] 2,00,000/- for the second violation;

or

- (iii) cancellation of registration for subsequent violation.

(2) If coaching centre fails to pay the amount of penalty the amount may be recovered from the proprietor of coaching centre as arrears of land revenue.

20. Cancellation of registration.- The certificate of registration granted to the coaching centre, without prejudice to any other penal action that may be taken for violation of relevant law, at any time be cancelled, if the concerned District Committee is satisfied that the coaching centre has contravened any of the provisions of the Act or violated any of the terms and conditions subject to which the registration was granted:

Provided that, no such order shall be passed by the District Committee without giving the holder of such certificate a reasonable opportunity of being heard.

21. Appeal.- (1) Any person aggrieved by any order of District Committee may, within thirty days from the date of receipt of such order, appeal to the Authority in the manner as may be prescribed.

(2) The Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within said period.

(3) The Authority shall dispose of the appeal within thirty days of filing of appeal after giving an opportunity of being heard.

22. Prohibition of misleading advertisement relating to coaching centre.- No coaching centre shall publish or cause to be published or take part in the publication of any misleading advertisement relating thereto.

23. Act not to be in derogation of any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

24. Bar of jurisdiction.- No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the State Government or any person or authority is empowered by or under this Act or the rules made thereunder.

25. Power to give directions.- The State Government may, from time to time, give such general or specific directions, in writing, as may be necessary, to the Authority for the effective implementation of the provisions of this Act.

26. Power to issue guidelines.- The State Government may, from time to time, issue necessary guidelines for carrying out the purposes of this Act.

27. Protection of act done in good faith.- No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against the Authority and District Committee, or Chairman or any member, officer, employee in respect of anything done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

28. Power to make rules.- (1) The State Government shall make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Every rule made under this Act shall be published by the State Government in the Official Gazette.

29. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with this Act, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of three years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the House of State Legislature.

Government Central Press, Jaipur.